

🚃 कैनेडा ईश्वर एवं कानून की सर्वोच्चता मानने वाले निम्नलखिति सद्धातों पर स्थापति हुआ हैं:

अधिकारों और सवतंतरताओं की गारंटी

🗕 1 अधिकारों और सबतंतरताओं का कनाडाई अधिकार पतर दसमें बताए गये कानन दवारा नियंत केवल यथोचित ऐसी सीमाओं में अधिकारों और सवतंतरताओं की गारंटी देता है जो एक स्वतंत्र और प्रजातंत्रीय समाज में औच तिय स्वर्प प्रमाणति किए जा सकते हैं।

मलभत सवतंतरताएं

🕳 2. परतये क वयकतिको निमनलिखति मलभूत सवतंतरताएं परापत हैं : (अ) अंतः करण और धर्म की स्वतंत्रतो; (आ) प्रेस और संचार के अन्य माध्यम की सवतंतरता सहति विचार, विशेवास, राये और संचार के अनय मोधयम की स्वतंत्रता; (इ) शांति पूर्ण सभा की स्वतंत्रता; और संग-साथ की स्वतंत्रता।

परजातंतरीय अधिकार

🕳 3. कैनेडा के प्रत्येक व्यक्त िको लोक सदन या विधानसभा के सदस्यों के चुनाव में वोट देने को और उसमें सदस्यता के योग्य होने का अधिकार है। 4.(1) इसके सदसयों के आम चुनाव पर नयायादेश की वापसी की नियत तारीख से पांच वर्ष ना लोक-सदन और ना ही विधानसभा जारी रहनी चाहिए। (2) वास्तविक या युद्ध की आशंका, आक्रमण या विद्रोह के समय, लोक-संदर्न संसद दवारा और वधानसभा वधान-मंडल दवारा पाँच वरषों से आगे चलता रह सकता है यदि ऐसे विधान का विरोध लोकसदन या विधानसभा के एक ति हाई से अधिक सदस्यों के वोटों द्वारा नहीं होता, जो भी उचित हो। 5. संसद तथा प्रत्ये क विधान-मंडल की कम से कम प्रत्ये क बारहवें महीने एक बैठक होनी चोहिए।

आवागमन का अधिकार

■ 6. (1) कैने डाके परतये कनागरिक को परवेश होने. टिके रहने या कैने डा छोड़ने का अधिकार है। (2) कैने डा के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक व्यक्तिको जसिके पास स्थायी निवासी होने का दर्जा है, अधिकार है (अ) किसी परांत में सथान बदलने और निवास करने का : और (आ) किसी परांत में जीविको कमाने का। (3) उपधारा (2) में स्पष्ट किये अधिकारों की शरत है (अ) किसी प्रांत में लागू हुए साधारण आवेदन के कानून या अमल, उनके अलावा वृजो मुख्य तौर से व्यक्तियों के मध्य वर्तमान या पछिले निवास के प्रांत के आधार पर भे दभाव करते हैं: और (आ) सरकार दवारा पहाड़ि गई सामाजि क से वाओं तक पंचाने की योगयता के तौर पर यथोचित निवास सथान मांगों की शर्त लगाने के लिये कोई कानून। (4) उपधाराएँ (2) और (3) को सी कानून, परोगराम या गतविधि जिसिका मनोरथ किसी परांत के उस परांत के वयकति, जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर घाटे पर हैं, को परे नहीं करते यदि उसे परांत में नौकरी की दर कैने डा में नौकरी की दर से नीचे हैं।

कानुनी अधिकार

🕳 7. प्रत्येक व्यक्त िको जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्त िकी रक्षा का अधिकार हैं और मलभेत नेयाय के सर्दिधोंत के अनुसार उसके अधिकार से वंचति ना होने का अधे किर है। 8. अनुचति तलाशी या जबती के विरोध में स्रक्षति होने का प्रतये क वयक्ति को आधिकार है। 9. प्रतये क वयक्ति को मनमोने ढंगे से नज़रबंदेया कैंदी ना होने का अधिकार है। 10. बंदी यो नज़रबंद होने की अवसथा में परतये क वयक्त िको अधिकार है। (अ) शीघर ही इसके कारणों से सूचेति होने को; *(ओ)* बेना ढील किये वर्कील करने और हिदायत देने और उसे हक से सूचित होने का अधिकार; और (ई) बंदी-प्रत्यक्षीकरण करने के प्रमाण से बोंधे रखने का, निश्चय करने और रहाि होने को अगर बांध नियमक नहीं है। 11. किसी ज्र्म से आरोपित हुए किसी व्यक्तिको अधिकार है (अ) अकारण ढील किये बिना विशेष जुरूम संबंधी सूचित होने का; (आ) यथोचित समय में मुकदमें के होने का; (इ) उस व्यक्ति के विरिद्ध जुरम संबंधति कार्यवाही में गॅवाह होने से मजबूर न होने का; (ई) कसिी असलग्न तथा न षिपकषे नयाय-सभा दवारा एक नयायकारी और सारवजनिक सनवाई में कान्नान्सार दोषी सदिधे होने तक नेरिदोष माने जाने का; (उ) बँना उचित कारण यथोचित जमानत से नकारे नो जाने का; (ऊ) सविाएं सेना कानून अधीन किसी जरम के मामले में कोई सैन कि नयाय-सभा सममख द्रार मकदमे अदाल ति पंचायत दवारा मकदमें के लाभ के परत जिहाँ जरमें की अँध किसे अधिक सजा पाँच वरेषों के लिये कैंद या कोई अधिक सजा है। (ए) किसी कारय या भल संबंधित कसरवार ना पाया जाए. जब तक कारय या भल के समय कनाड़ार्द या अंतरराष्ट्ररीय कानन अधीन अपराधी करार नहीं कर देशि जाए या देशों के संप्रदोय द्वारा कानून के साधारण सदिधांतों के अनुसार अपराधी हो; (ऐ) यद अिंत में जुर्म से नरिदोष ठहराया जाए, इसके लिये पुनः मुकदमा

अधिकारों और स्वतंत्रताओं का कनाडाई अधिकार पत्







ना हो और जरम की सजादी जाए, पुनः इसके लिये मुकदमाना हो या सजाना दी जाए; और *(ओ)* यदजि<u>र</u>म का कसूरवार पाया जाए और कमीशन के समय तथा सजा के समय, कर्म सजा हेतु ज्रम के लिये भिन्न सजा रही हो। 12. परतये क को किसी भी निर्दयी तथा असोधारण व्यवहार या सजा का निशाना ना बनाए जाने का अधिकार है। 13. कोई गवाह जो किसी कारयवाही में गवाही देती है. सवािए किसी मुकदमे में सच बोलने की शपथ ले करे झुठ बोलने के लिए या उल्टेर्दाए सब्त के उपयोग से, उस गवाह पर किसी कार्यवाही में निर्दोष सदिध करने वाले सबत होने का अधिकार है। 14. किसी कारयवाही में कोई पार्टी या गवाह यदिँउस भाषा जिसमें कार्यवाही संचालित हो रही है, को नहीं समझता या बोलता हो या जो बहरा हो उसे कसिी व्याख्याता की मदद ले ने का अधिकार है।

समानता का अधकािर

💻 15. (1) कानून के आगे और अधीन प्रत्ये कु व्यक्त सिमान है और उसे बिना भेद-भाव विशिष रप से नसल, कौम या जाति सिंबंधित जड़, रंग, धरम, लगि उपर या मानस्किया शारीरिक असमस्थता के आधार पर बन्ति भेट-भाव कानन की समान सरक्षा और समान लाभ का अधि कार है। उपधारा (2) उपधारा (1) कसी कानून, प्रोग्राम या गतिविधिजिसिका मनोरथ इसके घाटे के , वयकतियों या समृहों की अवसथाओं को अचछा करना है सहति उनके जो नसल, र्याता चार्या है, हो गाज चर्तवाणा ना जे चुका करना है यह गाउँ पाया जाना से की साम जो मार्ग कोम या जाता सिंबंधित जड़ रंग, धर्म, लिंग, उमर या मानसिक या शारीरिक असमर्थता के कारण घाटे में हैं, को परे नहीं करती।

कैनेडा की सरकारी भाषाएँ

■ 16. (1) कै ने डा की सरकारी भाषाएँ अंगरे जी और फरें च हैं और कै ने डा की संसद और सरकार की सभी स्थापनाओं में उनका परयोग करने का समान दरजा और समान अधिकार तथा विशेष अधिकार हैं। (2) नय बरनजविक की सरकारी भाषाएँ अंगेज़ी और फरेंच हैं और नयु बरनजबिक के विधान-मंडल और सरकार की सभी स्थापनाओं में उनका प्रयोग करने का समान दर्जा और समान अधिकार तथा वेशिष अधिकार है। *(3)* इस अधिकार पत्र में संसद या कोई विधान-मंडल , अंग्रेज़ी और फ्रेंच के दर्जे की समानता या प्रयोग को सीमति नहीं करता। 16.1*(1)* न्यू ब्रेन्ज़विक में अग्रेज़ी भाषाई समदाय और फरेंच भाषाई समुदाय की परति षठिति शिकषा संबंधित संस्थाओं के अधिकार सहित समान दर्जा और समान अधिकार तथा विशेष अधिकार है ऐसी प्रतिष्ठिति सांस्कृतिक संस्थाओं को कायम रखने और प्रगतिके लिए जरूरी हैं। (2) न्यूब्रन्ज़र्वेकिके विधान-मंडल और सरकार की भूमकाि की, उपधारा (1) में हवोला दिये दर्जे, अधिकारों और विशेष अधिकारों को सुरक्षति . रखने और उनका प्रचार करने की पुष्टहिं। 17. *(1)* प्रत्ये क व्यक्त िको संसद के विवादों और अनय कारयवाहियों में अगरेजी या फरेंच का परयोग करने का अधिकार है। (2) प्रत्ये के व्यक्तिको न्यू ब्रन्ज़विक के विधान-मंडल के विवादों और अन्य कार्यवाहियों में अंगरे जी या फरेंच का प्रयोग करने

का अधिकार है। 18. (1) संसद द्वारा पारति किए अधिनियम, पतर और रिकारड अंग्रेज़ी या फरेंच में छपे और परकाशति हों तथा दोनों भाषाओं का अनवाद सामानय रप से प्राधिकृत है। (2) न्यू ब्रन्ज़विक के विधान-मंडल देवारो पारति किए अधनियम,

पत्र और रिकारड अंगरे जी या फेंच में छपें तथा परकाशित हों या दोनों भाषाओं का अनुवाद सोमान्य रूप से प्राधिकृत है। 19. (1) संसद द्वारा सथपति कि सी वयकति दवारा या कि सी पेश की दलील में कि सी अदालत से निकसति परकरिया में अंगरेजी या फरेंच का परयोग किया जा सकता है। (2) न्यू बरन्ज़वेकि की जनता मैं कसिी व्यक्तदिवारा या कसिी पेश की देलील में या करिंगी वयक्त दिवारा या किसी पेशे की दलील में या किसी अदालत से निकसित प्रक्रिया में अंग्रे जी या फेंच का प्रयोग किया जा सकता है। 20. (1) कैने डा की जनता में किसी व्यंक्त कि संसद या कैने डा की सरकार की संस्था व किसी मुख्य या केंद्र कार्यालय सहित अंग्रेज़ी या फ्रेंच में विचारों के ओदान प्रदान करने का और उपलब्ध से वाएँ प्राप्त करने को अधिकार है और किसी ऐसी संस्था के किसी अन्य कार्यालय सेंबंधी वही अधिकार हैं जहाँ (अ) ऐसी भाषा में विचारों के आदान प्रदान और कार्यालय से से वाएँ दोनों अंग्रेज़ी या फ्रेंच में उपलब्ध हों। (2) न्यू ब्रन्ज़विक की जनता में किसी व्यक्ते की न्यू ब्रन्ज़विक विधान-मंडल यो सरकार की संस्था के किसी कारयालय संग अंगरे जी और फरेंच में विचारों के आदान-परदान और उपलब्ध से वाएँ प्राप्त करने का अधिकार है। 21. 16 से 20 धाराओं तक में अंगर जी एवं फरेंच भाषाओं. या उनमें से किसी से जो कैनड़ा के संविधान के किसी अनय उपबंध की बदौलत लाग हो. के संबंध में उसे किसी अधिकार, विशेषाधिकर या दायितव से वंचित नहीं करता। 22. 16 से 20 धाराओं तक कैने डा के विधान किसी और नियम की बदौलत अंगरे जी और फरेंच भाषाओं या दोनों से ही संबंधित किसी अधिकार-पत्र के, यो लाग होने से प्रव या पशचात, किसी प्रापत लाग कानुनी या परंपरागत अधिकार या विशेष अधिकार का अनादर नहीं करेता या क्छ भी नहीं हटाता।

अलुपसंख्यक भाषा शिक्षा संबंधी अधिकार

🖿 23. (1) कैनेडा के नागरिक अ) जेनिकी परथम सीखी अथवा समझने वाली भाषा अंग्रे ज़ी या फ्रेंच , प्रान्त की अल्पसंख्यक भाषा की आबादी है, जिसमें वे रहते हैं, या (ओ) जिन्होंने अपनी प्राथमिक स्कूल शिक्षा कैने डा में अंग्रेज़ी या फ्रैंच भाषा में प्रोप्त की है और उस प्रान्ते में बस रहे हैं जहाँ उस भाषा मैं जसिमें उन्होंने शिक्षो प्राप्त की उसे प्रान्त की भोषाई अल्पसंख्यक आबादी की भाषों अंगरे ज़ी या फरें चे है, उन्हें उस प्रान्त में अपने बच्चों को उस भाषा में प्राथम कि और माध्यम कि स्कूल श किया प्राप्त कराने का अधिकार है। (2) कै ने डा के नागरिक जेनिके किसी बच्चे ने कैं ने डा में अंगरे जी या फरें च में पराथम कि या माध्यम कि सकल शकिषा परापत की या कर रहें हें, अधे कार है की उनके सभी बचचे उसी भाषा में पराथमिक या माध्यमिक सकल शिक्षा परापत कर सकते हैं। (3) उपधाराएं (1) और (2) अधीन कैने डो के नागरी को को उनके बचचों को किसी परानंत की अंगरे जी या फरेंच अलपसंखयक भाषाई की आबादी की भाषा में पराथमिक या माध्यमिक सकूल शकिषा परापत कराने का अधिकार हैं (अ) परानत में जहाँ कहीं नागरिकों के बच्चों की गणना जिनके पास ऐसा अधिकार हैं, व्यवस्था ठीक साबति करने के लिए, अल्पसंख्यक भाषा शिक्षा के जनता फंडों में से उनको

देने के लिए लाग होता है: और (आ) जहाँ उन बच्चों की गणना ठीक साबति करता है, जिनको जनता की निधियों में से अलपसंखयक भाषा शिक्षा की सह्ले यितों में उस शक्षियां को प्राप्त करने का अधिकार शामलि करेता है।

🖿 24े. *(1)* कोइ व्यक्तजिसिके इस अधिकार-पत्र द्वारा गारंटी कयि अधिकारों या स्वतंत्रताओं को भगया इन्कार किया गया है, ऐसे उपाय जिनको अदालत पर स्थिति यों में उपयुक्त और न्यायसंगत विचारती है, प्राप्त करने हेत् समर्थ अधिकार-क्षेत्र की अदोलत में आवेदन कर सकतो है। (2) जहाँ उपधारा (1) अधीन कार्यवाहि यों मे इसका प्रवेश न्याय के प्रशासन के अशोभित करेगा।

25. इस अधिकार- पत्र में अधिकारों या स्वतंत्रताओं की गारंटी किसी आदिवासी, संधिया कैने डा के आदिवासियों के अन्य अधिकारों के अन्य अधिकारों या स्वतंत्रताओं को हटाने या अपमानित किये जाने का अर्थ नहीं निकालना चाहिए, उनमें से (अ) जिन अधिकारों या स्वतंत्रताओं को अक्तूबर 7, 1763 की रोजकीय घोषणा द्वारा माना गया; और (आ) जेनि अधिकारों या सवतंतरताओं को जो अब भूमदिवा करारों दवारा असतितव में हैं या जिनको अर्जित किया जा सकता है। 26. इस अधि कार-पत्रे में जिन अधिकारों या स्वतंत्रताओं की गारंटी से कैने डा में अन्य अधिकारों या स्वतंत्रताओं की, जेनिका अस्तित्व है, के अस्तित्व की अस्वीकृतिका अर्थ नहीं निकालना चाहिए। 28. इसे अधिकार पत्र में प्रत्ये के अवस्था में, इस में पेश कथि अधिकारों और स्वतंत्रताओं की नरे-नारियों प्रतिसिमान गारंटी है। 29. इस अधिकार पत्र में सांप्रदायिक, अलग (रोमन केथलिक) या भनिन विचार-सकलों के संबंध में कैने डा के विधान दवारा गारंटी के अधिकारों या विशेष अधिकारों के हटाने या निरादर करने जैसा कुछ नहीं है। 30. इस अधिकार पत्र में किसी विधान-सभा या विधान-मंडल प्रति एक हवाले में यूकान इलाके और पश्चिमोत्तरी (नार्थवैस्ट टैरिटरीज़) इलाकों का या उपयुक्त विधानी संस्था के हवाले को शामेलि सेमझना चाहि ए, जैसा उचित हो। 31. इस अधिकार पत्र में किसी को या किसी अधिकारी संस्था की विधानी शक्तिका विस्तार करने जैसा कछ नहीं।

अधिकार पत्र का आवेदन

32. (1) यह अधे कार- पत्र लागू होता है (अ) यूकान इलाके और पशचिमोततरी इलाकों से संबंधित समसत मामले में. संसद की शकतिकी सीमा के अंदर समस्त मामलों संबंधित संसद और कैने डा की सरकार प्रती; तथा (आ) प्रत्ये क प्रान्त के विधान-मंडल और सरकार प्रति। (2) उप-धारा (1) के होते हुए, इस धारों के लागू होने के तीन वर्षों पश्चात चर्क धारा 15 का कोई परभाव नहीं होना चाहिए। 33. (1) संसद या कि सी परानत का विधान-मंडल, संसद को किसी अधिनियम या किसी प्रान्त के विधान-मंडल प्रान्त के किसी अधिनियम में, जो उचित हो, जाहरि तौर पर घोषणा कर सकते हैं क इस अधिकार पत्र की धारा 2 या धारा 7 से 15 तक शामलि कयि नियम के होते हुए, अधिनियम या अधिनियम का नियम लागू होना चाहिए। (2) किसी अधनियम या किसी अधनियम के एक नियम से संबंदधित इस धारा अधीन की किसी घोषणा का वास्तव में होने वाला ऐसा अमल होना चाहिए जो बनि घोषणा हवाला दिए इस अधिकार पतर के नियम के लिए होता है। (3) उप-धारा (1) अधीन बनाई गई कोई घोषणा लागे होने के पाँच वर्षों पश्चात या घोषणा में नरिदिष्ट अगली तारीख पर समाप्ते हो जाता है। (4) संसद या कसिी प्रान्त का विधान-मंडल उप-धारा (1) अधीन बेने किसी घोषणा को पुनः कानुन पास कर सकता है। (5) उप-धारा (4) अधीन पुनः कानून बनाने के संबंध में उप-धारा

34. यह भाग अधिकारों और सवतंत्रताओं के कनाडाई अधिकार पत्र

" हमें अब मूलभूत सिद्धांत, मूलभूत मूल्य और मान्यताएं स्थापित करने चाहिए जो हमें कनाडारड़ के रूप में एकजूट रखते हैं, ताकि हिमारी कृषेत्रीय निष्ठाओं से परे भी एक जीवन शैली एवं मूल्य पद्धति हो, जो हमें अपने उस देश पर गर्व का अनुभव कराए जसिने हमें इस तरह की स्वतंत्रता और असीम आनंद दीया है।"

पी.र्इ. ट्रुडो 1981